

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.03.2023

थाना कटराबाजार पुलिस ने 03 पशु तस्करो को किया गिरफ्तार, कब्जे से 03 राशि गोवंश, 01 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद चाकू, 01 अदद बांका किया बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पशु क्रूरता अधिनियम में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए गये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मुहम्मदपुर बाजार के पास से गोवंश की तस्करी करने वाले 03 आरोपी अभियुक्तों- 01. छोटके उर्फ सफीक 02. मुहम्मद जाहिद उर्फ छोटू 03. लाडले को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 राशि गोवंश व 01 अदद मोटरसाइकिल(UP43Y1202), 01 अदद नाजायज चाकू व 01 अदद बांका बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कटराबाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. छोटके उर्फ सफीक पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम हलधरमऊ मण्डी थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
02. मुहम्मद जाहिद उर्फ छोटू पुत्र अनीस निवासी मुहम्मदपुर कौडहा जगदीशपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा स्थाई पता- चाई टोला कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. लाडले पुत्र वाउर निवासी लोनहवा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-145/23, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० व 11(D) पशु क्रूरता अधि० 4/25 आर्म्स ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 03 राशि गोवंश।
02. 01 अदद मोटरसाइकिल(UP43Y1202)
03. 01 अदद नाजायज चाकू।
04. 01 अदद बांका।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० अजय कुमार पाण्डेय मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 25.03.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. टिकू पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 142/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अशोक पुत्र देवतादीन निवासी ग्राम उत्तर वैनिया थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 146/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मनकापुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दिनेश सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम पडरी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 पैकेट एवन देशी शराब मशाला 200 M.L प्रति बोतल बरामद कर मु०अ०सं०- 178/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.03.2023

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त - राजकिशोर उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना को0 नगर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना को0 नगर गोंडा में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजकिशोर उर्फ राजा पुत्र सुखराम कोरी निवासी लच्छीपुर मौजा दुफौड़िया थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 162/2023 धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोंडा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 राजेन्द्र कनौजिया मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.03.2023

नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने आज दिनांक 25.03.2023 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड करने के वांछित अभियुक्त-संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना को0 नगर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना को0 नगर गोंडा में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. संदीप कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी दुबाई थाना परसपुर, जनपद गोंडा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-252/2023 धारा 354घ भादवि व 7/8 पॉक्सो ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 राकेश कुमार मय टीम।